



कार्यालय प्राचार्य  
(अग्रणी महाविद्यालय जिला एमसीबी)  
शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
मनेन्द्रगढ़, जिला – एमसीबी (छ.ग.)



College Code – 3703  
E-mail – vivekanandcollage1973@gmail.com/vnpgcin@gmail.com  
Website – www.vnpgc.in

पत्र क्रमांक/295/स्था./24

मनेन्द्रगढ़ दिनांक

14/07/2024

अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन

आदेश क्रं. – (छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रं. एफ 3-54/स्था./2020/38-1 दिनांक 20/06/2024 एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा का आदेश क्रं. 574/126/आउशि/राज.स्था./2024 दिनांक 06/07/2024) एवं (छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 77/नि.स./स./उ.शि./2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12.07.2024) के अनुसार शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ में निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षक सहायक/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी/अतिथि क्रीड़ा सहायक हेतु रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाणपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 22.07.2024 को सायं 05:00 बजे तक के रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाइट [www.vnpgc.in](http://www.vnpgc.in) से अवलोकन किया जा सकता है।

**आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-**

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए, परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु-1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ आवेदकों को अँग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अँग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य-विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा।

इस हेतु आवेदन अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3. आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
4. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

**विषय/पदों का विवरण :-**

क्र.	विषय	प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक
1	राजनीतिशास्त्र	01	-
2	वनस्पतिशास्त्र	-	01
3	कम्प्यूटर साइंस	-	02
4	अतिथि क्रीड़ा अधिकारी		01

**नोट :-** रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। यह विज्ञापन और इसमें उल्लिखित शर्तें उच्च शिक्षा कार्यालय एवं न्यायालयीन निर्णयों के अध्याधीन होंगे।

**टीप :-** संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

**शर्तें :-**

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाणपत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, पी-एचडी., नेट/सेट, एम. फिल. एवं अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करें।
02. दिनांक 22.07.2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जायेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी। **नोट :-** आवेदन की अधिकता होने पर निम्न तिथियों में परिवर्तन किये जा सकते हैं।
04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 26.07.2024 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 29.07.2024 तक होगी

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 31.07.2024 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय-सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41,600/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30000/- प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
4	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000 प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35,000 प्रतिमाह अधिकतम)
(स) दैनिक मानदेय			
5	विवरण	अतिथि क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि क्रीड़ा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रतिदिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/- प्रतिदिन (40,000/- प्रतिमाह)	1200/- प्रतिदिन (30,000/- प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदन बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़, वार्ड नंबर-14, झगराखाण्ड रोड, पिन- 497442, जिला- मनेन्द्रगढ़-विरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाये रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

संलग्नक :-

1. आवेदन का प्रारूप।

पृ.क्रमांक/296/स्था./24  
प्रतिलिपि :-

मनेन्द्रगढ़ दिनांक

  
**PRINCIPAL**  
Govt. Vivekanand P.G. College  
Manendragarh, Distt.-M.C.B.(C.G.)  
94/07/2024

1. आयुक्त महोदय, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय राजीवगांधी पी.जी. महाविद्यालय अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया, छ.ग. को सूचनार्थ।
4. कार्यालय कलेक्टर जिला-एमसीबी पी.आर.ओ. को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु प्रेषित।
5. नगरपालिका परिषद, मनेन्द्रगढ़ के सूचना पटल पर आम जनता के सूचनार्थ चस्पा हेतु प्रेषित।
6. समस्त मीडिया प्रभारी ..... को जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने के लिए अनुरोध सहित प्रेषित।
7. शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ की वेबसाईट [www.vnpgc.in](http://www.vnpgc.in) में प्रसारित।
8. शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ के सूचना पटल पर आम जनता की जानकारी हेतु चस्पा।
9. शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ के स्थापना शाखा को फाईल में संधारित करने के लिए निर्देशित।

  
प्राचार्य  
**PRINCIPAL**  
Govt. Vivekanand P.G. College  
Manendragarh, Distt.-M.C.B.(C.G.)